

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग-1, देहरादून: दिनांक 13 जुलाई, 2022  
विषय:-राज्य स्त्री शक्ति "तीलू रौतेली" पुरस्कार के अन्तर्गत समय-समय पर जारी  
शासनादेशों में संशोधन करने विषयक।

महोदय,6

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1266/ती0रौ0पुर0/2022-23 दिनांक 11.07.2022 में किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य स्त्री शक्ति "तीलू रौतेली पुरस्कार" वितरण हेतु जारी शासनादेश संख्या-1743/XVII(4)/2014-155/2005 दिनांक 02.12.2014 को अवकमित/निरसित करते हुए राज्य स्त्री शक्ति "तीलू रौतेली पुरस्कार" के चयन हेतु सम्यक् विचारोपरान्त सामान्य दिशानिर्देश निम्नवत् निर्धारित किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1- योजना का स्वरूप-

प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला यह राज्य स्त्री शक्ति पुरस्कार उत्तराखण्ड राज्य की वीरांगना "तीलू रौतेली" के नाम से जाना जायेगा। विभिन्न क्षेत्रों में किशोरियों/महिलाओं की व्यक्तिगत उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गयी है। यह पुरस्कार उन महिलाओं/किशोरियों को दिया जाएगा जिन्होंने निम्न में से किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया हो:-

1. कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाली महिलाओं एवं बच्चों को सहारा तथा पुनर्वास देने व मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य जैसे-निराश्रित, विधवायें, वृद्ध, विकलांग, दुराचार एसिड अटैक से प्रभावित एवं कलह की शिकार महिलाओं/किशोरियों तथा स्ट्रीट चिल्ड्रन, भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों आदि को सहारा तथा पुनर्वास देने व मुख्यधारा से जोड़ने सम्बन्धी कार्य।
2. शिक्षा, सेवा अथवा प्रशिक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल की हो, अभिनव प्रयोग किये हो।
3. महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन एवं उनको बैंकों द्वारा आर्थिक सहायता दिलाने का कार्य किया हो। इस कार्य में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव रखती हो तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ते हुए सम्बन्धित समूहों को बैंक लिंकेज के कार्य में सक्रिय भूमिका निभायी हो तथा विगत 05 वर्षों में कितने लोगो को रोजगार से जोड़ा गया है।
4. महिलाओं को रोजगारोन्मुख क्षेत्र में विशेषकर कृषि, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के क्षेत्र में सहारा देने का कार्य, जिसमें दिनचर्या से उपजे कार्यबोझ को कम करने हेतु तकनीक का प्रसार सम्मिलित है।

W

5. समुदाय आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूकता एवं चेतना उत्पन्न करने का कार्य किया हो।
6. विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने, बाल विवाह व अनैतिक व्यापार को रोकने का कार्य किया हो।
7. ऐसी महिलायें/किशोरी जिन्होंने रूढ़ीवादिता को तोड़ते हुए नई परम्परा स्थापित की हो।
8. ऐसी विधवा, बेसहारा अथवा विकलांग महिला/किशोरी जिसने परिवार के अभाव में अपने भाई बहनों को पढ़ा-लिखा कर सफलता दिलाई हो।
9. मीडिया/पत्रकारिता, प्रशासन, गैर सरकारी संगठन, साहित्य, समाज सेवा, उद्योग जगत, खेल, साहसिक खेल, राजनीति, संगीत एवं नृत्य, नाटक, लोककला, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, विभिन्न कला क्षेत्र जैसे चित्रकला/वास्तुकता, अभियान्त्रिकी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं पोषण जैसे क्षेत्रों में विपरीत परिस्थितियों में विशिष्टता हासिल की हो।
10. अदम्य साहस का परिचय देते हुये किसी की जान बचाने का कार्य किया हो जैसे- बाघ, भालू आदि से लड़कर बहादुरी का परिचय दिया हो।
11. पर्वतारोहण के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट उपलब्धि हासिल की हो।
12. पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन को सकारात्मक करने की दिशा से कार्य किये हों।
13. ऐसी महिलायें जिनके द्वारा जानमाल, वनाग्नि तथा अन्य बहादुरी के क्षेत्र में विशिष्ट/उत्कृष्ट कार्य किया हो।

नोट-तीलू रौतेली पुरस्कार के नामांकन हेतु उक्त क्षेत्रों में से किन्ही क्षेत्र/क्षेत्रों में किये गये कार्य का सम्पूर्ण विवरण, उपलब्धियों, फोटोग्राफ, समाचार पत्र में छपी खबरों की प्रति, कार्य के सम्बन्ध में साक्ष्य, सक्षम स्तर से प्रमाणीकरण आदि विवरण आवेदन पत्र में दिये गये अन्य विवरण के साथ अपलोड किये जायेंगे।

## 2- चयन हेतु मानदण्ड/चयन प्रक्रिया -

1. प्रत्येक वित्तीय वर्ष (माह अप्रैल से जून तक) निर्दिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली किशोरियों एवं महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार हेतु चयनित करने के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। (निर्धारित प्रारूप संलग्नक-1)
2. निर्धारित क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाली किशोरी/महिला द्वारा ऑनलाइन मोड पर आवेदन प्रस्तुत किये जायेंगे। आवेदन के साथ सम्बन्धित क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों का सुस्पष्ट अभिलेखीकरण उपलब्ध होना चाहिए।
3. नामांकित किशोरी/महिला की विशिष्ट उपलब्धियाँ प्रमाणन-योग्य होनी चाहिये तथा इस आशय का सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए जिससे कि सम्बन्धित अभ्यर्थी की उपलब्धियों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन भी किया जा सके।
4. ऐसी किशोरी/महिला को वरीयता देनी चाहिए जिन्होंने अपने जीवन में लम्बे संघर्ष एवं विडम्बनाओं से जूझकर सफलता प्राप्त की है।
5. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्राप्त होंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का तुलनात्मक चार्ट आवेदन पत्र सहित जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।
6. जनपद में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक आवेदनों का परीक्षण किया जायेगा जिला स्तरीय समिति यदि आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों को प्रस्तुतीकरण हेतु भी

W



आमंत्रित कर सकते हैं। जिसमें अभ्यर्थी अपने अभ्यर्थन के समर्थन में अभिलेख प्रस्तुत कर सकेंगी।

7. जिला स्तरीय समिति द्वारा जनपद से वरीयता कम के अनुसार अधिकतम 03 नामों की संस्तुति की जाएगी जिन पर जनपद स्तरीय चयन समिति अपना सुस्पष्ट मत भी अंकित करेगी।
8. जनपद स्तर से संस्तुतियों की सूची जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को ऑनलाइन मोड पर ही प्रेषित की जायेगी।
9. जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा संस्तुत की गई सूची के आधार पर राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा। जनपद स्तरीय चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर राज्य स्तरीय समिति पुरस्कारों हेतु 13 नाम अंतिम करेगी। राज्य स्तरीय चयन समिति प्रयास करेगी कि नामांकन प्राप्त सभी जनपदों से एक किशोरी अथवा महिला को पुरस्कृत किया जाए। राज्य स्तरीय समिति द्वारा विशिष्ट क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान हेतु किसी एक किशोरी/महिला को बिना नामांकन के भी चयन कर सकती है।
10. पुरस्कार हेतु नामों की संस्तुतियों के साथ-साथ जिला स्तरीय समिति द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाएगा कि नामांकनकर्ता के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही जनपद में लंबित नहीं है।

### 3- जनपद स्तरीय चयन समिति-

- |   |            |
|---|------------|
| 1. मुख्य विकास अधिकारी                            | अध्यक्ष    |
| 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नामित प्रतिनिधि         | सदस्य      |
| 3. मुख्य शिक्षा अधिकारी/नामित प्रतिनिधि           | सदस्य      |
| 4. जिला क्रीड़ा/खेलकूद अधिकारी,                   | सदस्य      |
| 5. जिला कार्यक्रम अधिकारी                         | सदस्य सचिव |
| 6. जनपद के दो वरिष्ठतम बाल विकास परियोजना अधिकारी | सदस्य      |

### 4- राज्य स्तरीय चयन समिति-

- |   |            |
|---|------------|
| 1. प्रमुख सचिव/सचिव, म0स0 एवं बा0वि0, उत्तराखण्ड शासन   | अध्यक्ष    |
| 2. निदेशक, म0स0 एवं बा0वि0, उत्तराखण्ड  | सदस्य सचिव |
| 3. संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, म0स0 एवं बा0वि0   | सदस्य      |
| 4. निदेशक, म0स0 एवं बा0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा<br>निदेशालय/जिला स्तर से नामित दो विभागीय अधिकारी | सदस्य      |

5- पुरस्कार की धनराशि/विवरण:- पुरस्कार हेतु चयनित प्रत्येक किशोरी/महिला को शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित धनराशि ऑनलाईन डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी साथ ही प्रमाण पत्र/प्रशस्ति पत्र भी दिया जायेगा।

6- पुरस्कार की संख्या:- नामांकित किशोरी/महिला में से पुरस्कार हेतु न्यूनतम 13 महिलाओं का चयन किया जाएगा। राज्य स्तरीय समिति विशिष्ट क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान हेतु किसी एक किशोरी/महिला को बिना नामांकन के भी चयन कर सकती है।

7- पुरस्कार का वितरण :- यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 08 अगस्त को वीरांगना तीलू रौतेली के जन्म दिवस के अवसर पर वितरित किया जाएगा। चयनित किशोरी/महिला द्वारा पुरस्कार

W^


व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया जाएगा। जनपद स्तरीय चयन समिति अपनी संस्तुति, निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास देहरादून को समयान्तर्गत प्राप्त करा देंगी।

8- यह अनिवार्य होगा कि प्रत्येक जनपद से अधिकतम तीन नाम वरीयता क्रम में प्रस्तावित किये जाए। जिन पर जनपद स्तरीय चयन समिति अपना सुस्पष्ट मत अंकित करेगी। जनपद स्तरीय चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर राज्य स्तरीय समिति पुरस्कारों हेतु प्रत्येक जनपद से 01-01 कुल 13 नाम अंतिम रूप से संस्तुत करेगी।

राज्य स्तरीय समिति विशिष्ट क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान हेतु किसी एक किशोरी/महिला को बिना नामांकन के भी चयन कर सकती है।

राज्य स्तरीय समिति की संस्तुति के उपरान्त संस्तुत नामों पर मा0 विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए उपर्युक्त उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय, 


(हरि चन्द्र सेमवाल)  
सचिव।

संख्या- 1062

(1)/XVII/2022-155/2005 TC-1 तददिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, सचिव/अपर सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. उप सचिव/अनु सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
12. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
13. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाईल।

  
(हरि चन्द्र सेमवाल)  
सचिव।

## तीलू रौतैली पुरस्कार हेतु आवेदन प्रारूप

### भाग-1 अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी-

1. आवेदक का नाम: .....
2. आवेदक की जन्मतिथि(हाईस्कूल अंकतालिका अनुसार): .....
3. शैक्षणिक योग्यता : .....
4. वर्तमान पता: .....
- जिला ..... परियोजना .....
5. बैंक खाताधारक का नाम : .....
6. बैंक खाता संख्या: .....
- आईएफसीकोड : .....
- बैंक का नाम : .....



7. महिला की उपलब्धियां किस प्रकार उत्कृष्ट दर्शायी गयी है- सम्बंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करे।
8. महिला के जीवन का संक्षिप्त का विवरण, प्रेस विज्ञप्ति, प्रमाण पत्र आदि सहित दस्तावेज अपलोड करें।
9. उपलब्धियों से सम्बन्धित सोशल लिंक (फेस बुक, इन्स्टाग्राम आदि।)
10. सम्बन्धित क्षेत्र में प्राप्त अंतरराष्ट्रीय/ राष्ट्रीय/ राज्य पुरस्कार सम्बंधी दस्तावेज।

मैं ..... प्रमाणित करती हूँ कि उपरोक्त समस्त सूचना सही है। यदि कोई भी गलत सूचना एवं कूट रचित सूचना पाये जाने पर विभाग आवश्यक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

अभ्यर्थी का नाम एवं हस्ताक्षर

नोट-1-अतिरिक्त जानकारी/दिशा निर्देशों के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास कार्यालय से सम्पर्क करें।

2-यह अनिवार्य होगा कि नामांकन प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के माध्यम से ही निदेशालय में स्वीकार किये जाएंगे।

3- जिला स्तरीय समिति द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाएगा की नामांकन कर्ता के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही जनपद में लंबित नहीं है।

W